

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 उदल द्वानाम सती-वगैरा
 मु. सं.

31.7.19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील
 प्रार्थी उपस्थित तलबाना सम्मन पेश करे
 पत्रावली वास्ते तलबी दि 30-8-19 को
 पेश हो। अब तक T.I. की अर्थात्
 बर्कडि जाती है।
 उपखण्ड अधिकारी, महवा

दिनांक 30-08-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार
 बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है।
 इसके अलावा प्रार्थी को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी
 अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये
 है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र
 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को
 चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी
 व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी
 अन्त.अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21-08-2018 निरस्त की जाती
 है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

21/8/19
 उपखण्ड अधिकारी
 महवा (जिला दे.अ.)